

जबलपुर-दमोह मार्ग पर लगाया जान

जबलपुर। पाटन में संचालित संदीपनी स्कूल को करीब 10 किलोमीटर दूर ग्राम सकरा में शिफ्ट किए जाने के विरोध में मंगलवार को छात्रों का गुस्सा सड़क पर उतर आया। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने जबलपुर-दमोह मार्ग पर पाटन चौराहे के पास चक्काजाम कर दिया। प्रदर्शन के चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और करीब एक घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। छात्रों का कहना था कि पाटन में स्कूल होने से आसपास के गांवों से आने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए आने-जाने में ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। अब स्कूल को सकरा स्थानांतरित किए जाने से उन्हें रोजाना करीब 10 किलोमीटर अतिरिक्त सफर करना पड़ेगा। विद्यार्थियों ने कहा कि ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए रोज स्कूल तक पहुंचना बड़ी चुनौती बन जाएगा।

संदीपनि स्कूल 10 किमी दूर शिफ्ट करने पर भड़के छात्र



टीसी और फेल करने की धमकी का आरोप

प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने स्कूल के कुछ शिक्षकों पर गंभीर आरोप भी लगाए। विद्यार्थियों का कहना था कि आंदोलन के दौरान उन्हें विरोध खत्म नहीं करने पर टीसी देने और परीक्षा में फेल करने की धमकी दी गई। छात्रों ने कहा कि वे अपनी परेशानी को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें डराने का प्रयास किया जा रहा है।

नगर निगम के नोटिस के खिलाफ मिली अंतरिम राहत खत्म, कार्रवाई का रास्ता खुला

गोलबाजार अतिक्रमण पर बुधरानी को झटका, सिविल कोर्ट ने हटाया स्टे

जबलपुर। शहर के गोलबाजार अतिक्रमण मामले में स्थानीय निवासी राजकुमार बुधरानी को सिविल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सिविल जज सीनियर डिवीजन सहांगी दुग्गल की अदालत ने छह अगस्त को नगर निगम के पांच नवंबर, 2024 के नोटिस के खिलाफ पूर्व में दी गई अस्थायी निषेधाज्ञा को राहत निरस्त कर दी। पूर्व में पारित आदेश के बाद संबंधित अतिक्रमण के विरुद्ध नगर निगम की नियमानुसार कार्रवाई का रास्ता खुल गया है।

सभी पक्षों ने रखा अपना पक्ष

छह अगस्त को हुई सुनवाई में वादी की ओर से अधिवक्ता सुमेध वैद्य उपस्थित हुए। प्रतिवादी क्रमांक एक डीएन जैन सोसायटी की ओर से अधिवक्ता आशीष सिंघई, प्रतिवादी क्रमांक दो मध्य प्रदेश शासन की ओर से अधिवक्ता नंदिनी व प्रतिवादी क्रमांक तीन नगर निगम जबलपुर की ओर से अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।

कोर्ट के तीन अहम आधार

अदालत ने अंतरिम राहत निरस्त करने के लिए तीन प्रमुख आधार बताए। कोर्ट के अनुसार पूर्व में अंतरिम आदेश नगर निगम को आवश्यक पक्षकार बनाए बिना पारित किया गया था। इसे प्रक्रियागत त्रुटि माना गया। दूसरा, आवेदक राजकुमार बुधरानी जिस कंजर्वेसी पर काबिज हैं, उसके संबंध में उनके पक्ष में कोई वैध स्वामित्व नहीं है। तीसरा, धारणाधिकार पट्टा के लिए बुधरानी की ओर से किया गया आवेदन कलेक्टर, जबलपुर द्वारा पहले ही खारिज किया जा चुका है।

निगम के लिए कार्रवाई का रास्ता साफ

नगर निगम की ओर से प्रस्तुत पूर्व अंतरिम निषेधाज्ञा को निरस्त करने संबंधी आवेदन को अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही पहले दी गई अंतरिम राहत समाप्त हो गई। अब नगर निगम संबंधित अतिक्रमण के संबंध में हाई कोर्ट के निर्देशानुसार कार्रवाई कर सकता है। **27 अगस्त को हाई कोर्ट में मुख्य मामला**
गोलबाजार अतिक्रमण से जुड़ा मुख्य मामला हाई कोर्ट में 27 अगस्त को सुनवाई के लिए नियत है। याचिका में पार्षद अयोध्या तिवारी सहित अन्य पर नगर निगम की करोड़ों रुपये मूल्य की शासकीय भूमि पर कब्जे के आरोप लगाए गए हैं। याचिका में संबंधित भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग की गई है। सिविल कोर्ट का आदेश ऐसे समय आया है, जब गोलबाजार की भूमि से जुड़े विवाद पर हाई कोर्ट में भी सुनवाई नियत है।

घटना की जांच करने उच्च स्तरीय समिति गठित

स्टेशन में खड़े जीएम के निरीक्षण एसी कोच में आग भड़की

जबलपुर। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब प्लेटफॉर्म नंबर-6 स्थित बॉम्बे होटल के पास वीआईपी गेट पर खड़े जीएम के एसी कोच में अचानक आग लग गई। कोच से धुआं उठता देख आसपास मौजूद रेलकर्मियों और यात्रियों में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। घटना की सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को दी गई।

गनीमत रही कि आग ने विकराल रूप नहीं लिया, वरना स्टेशन जैसे भीड़भाड़ वाले स्थान पर बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद रेल प्रशासन की अगुआई में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। खासतौर पर स्टेशन के ऐसे हिस्से में जहां यात्रियों की आवाजाही रहती है और आसपास रेलवे की संपत्ति एवं अन्य कोच खड़े रहते हैं, वहां आग जैसी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों की समीक्षा जरूरी हो गई है।

आग लगी तो इंतजाम क्यों नहीं दिखे?

रेलवे स्टेशन संवेदनशील और भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है। ऐसे स्थान पर खड़े किसी कोच में आग लगना सामान्य घटना नहीं है। यदि आग तेजी से फैलती तो आसपास खड़े अन्य कोच, रेलवे की संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती थी। घटना ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि रेल प्रशासन के पास आग जैसी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए कितने प्रभावी और तत्काल उपलब्ध संसाधन हैं। आग लगने के बाद आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मचने से स्पष्ट है कि ऐसी परिस्थितियों के लिए पूर्व तैयारी और त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण है।

बड़ा हादसा टला, लेकिन सवाल बाकी

फिलहाल घटना के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। आग किस वजह से लगी और कोच में सुरक्षा मानकों का पालन किस स्तर तक किया जा रहा था, इसकी जांच जरूरी है। घटना ने रेलवे की अगुआई, आपातकालीन प्रतिक्रिया और संवेदनशील स्थानों पर खड़े कोचों की निगरानी को लेकर नए सिरे से सवाल खड़े कर दिए हैं। रेलवे स्टेशन पर छोटी सी विंगारी भी बड़े खतरे में बदल सकती है। ऐसे में इस घटना को महज एक आग की घटना मानने के बजाय इससे सबक लेते हुए स्टेशन परिसर की अगुआई सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा किए जाने की जरूरत है।

उच्च स्तरीय जांच समिति गठित

डीआरएम कमल कुमार तलारेजा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन कर लिया है। डीआरएम ने बताया कि यह कोच हैटरी संचालित सिस्टम पर आधारित था, जिसमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग का बड़ा नेटवर्क होता है। अधिकारी आंतरिक शॉर्ट सर्किट और किसी बाहरी असाधारण तत्व द्वारा की गई शराहत दोनों पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए स्टेशन परिसर और यार्ड में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि या बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। सुरक्षा मानकों के तहत तत्काल स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया। फिलहाल रेलवे की सीनियर ऑफिसर्स कमेटी साइक्रे जुटाकर घटना के सटीक कारणों की पड़ताल में जुटी हुई है।

गोहलपुर में ऑफिस ले जाकर मांगे रुपए पैर में चाकू घोंपा

जबलपुर। गोहलपुर थाना क्षेत्र में चांद कुश्नी को रास्ते में रोककर आरोपी अफसर जलाने में पहले पास बुलाया और फिर अपने भाई के ऑफिस में ले गया। आरोप है कि वहां उससे रुपए की मांग की गई। चांद ने रकम देने से मना किया तो आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए चाकू से हमला कर उसकी पिंजली में चोट पहुंचा दी। घटना की जानकारी मिलने पर चांद का भाई इस्तराकर कुश्नी उसे लेकर अस्पताल पहुंचा। घायल को उपचार कराया गया। पुलिस ने शिकायत पर धारा 296(बी), 118(1), 119(1), 351(3) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है।

रांझी में समोसा खाते समय घेरा, एक हजार रुपए मांगे

रांझी के बड़ा पत्थर क्षेत्र में विष्णु राजपूत रात करीब 10 बजे अपने दोस्तों के साथ समोसे की दुकान पर ऑनलाइन पेमेंट कर रहा था। इसी दौरान वहां मौजूद हरिओम झारिया, बच्चा पासी और पवन पासी ने उसे घेर लिया। आरोप है कि तीनों ने शराब पीने के लिए एक हजार रुपए मांगे। विष्णु ने रुपए देने से इनकार किया तो तीनों ने उसके साथ गाली-गलौज और छीना-झपटी शुरू कर दी। हरिओम और पवन ने उसे पकड़ लिया, जबकि बच्चा पासी ने चाकू निकालकर उसकी बाई जांघ में दो बार कर दिए। इसके बाद तीनों जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग निकले।

शराब और पार्टी के लिए रुपए देने से इंकार करने पर चाकू से 3 युवकों पर हमला

जबलपुर। शहर में शराब और पार्टी के लिए रुपए मांगने के बाद रकम नहीं देने पर चाकू से हमला करने की घटनाएं सामने आई हैं। कैट, गोहलपुर और रांझी थाना क्षेत्रों में अलग-अलग विवादों में युवकों को निशाना बनाया गया। कहीं 500 रुपए के लिए चाकू और रॉड से

हमला हुआ तो कहीं 5 हजार रुपए की पार्टी मांग पूरी नहीं होने पर जांघ में चाकू मार दिया गया। रांझी में शराब के लिए एक हजार रुपए नहीं देने पर युवक को पकड़कर चाकू से वार किया गया। तीनों मामलों में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कैट में 500 रुपए नहीं दिए तो चाकू-रॉड से हमला

कैट थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय आलोक श्रीवास अपने दोस्त के साथ ग्वारीघाट से लौट रहा था। बिरमानी पेट्रोल पंप के पास निहाल ने उसे रोककर शराब पीने के लिए रुपए मांगे। आलोक ने इनकार किया तो वह बाइक से उसका पीछा करते हुए चौथा पुल तक पहुंच गया। आरोप है कि निहाल ने अपनी बाइक आलोक की बाइक से सटाकर टक्कर मार दी, जिससे दोनों नीचे गिर गए। आलोक वहां से भागकर लक्की ऑटोमोबाइल की तरफ पहुंचा, लेकिन आरोपी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने दोबारा 500 रुपए मांगे। इसका इंकार करने पर गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि नुकीली वस्तु से आलोक की दोनों जांघों पर हमला किया गया। इसके बाद सड़क पर पड़ी रॉड से कंधे और पैरों पर वार किए गए। जान से मारने की धमकी देकर आरोपी भाग गया। कैट पुलिस ने धारा 296(ए), 118(1), 119(1), 351(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है।

नहाते समय हादसा, निजी प्लांट में करता था काम

जबलपुर। बरगी बांध में नहाने के दौरान डूबे पश्चिम बंगाल के युवक का शव करीब 48 घंटे बाद छीता खुदरी के पास पानी में उतराता मिला। सूचना पर पहुंची गोताखोर टीम ने शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को सूचना दे दी है। पुलिस के अनुसार मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल निवासी 35 वर्षीय शेख अब्दुल जबलपुर में रेहकर एक निजी प्लांट में काम करता था। वह 9 अगस्त को छीता खुदरी के पास बरगी बांध में नहाने गया था। नहाते समय अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन तेज बहाव और अधिक गहराई के कारण उसका पता नहीं चल सका। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों के साथ एसडीआईआरएफ की टीम ने काफी देर तक तलाश अभियान चलाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। मंगलवार को करीब 48 घंटे बाद उसी क्षेत्र में अब्दुल का शव पानी में दिखाई दिया। गोताखोरों ने शव को बाहर निकालकर पुलिस को सौंप

दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। पुलिस

के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के जबलपुर पहुंचने पर शव उन्हें सौंप दिया जाएगा।

70 बोरी यूरिया और 20 बोरी डीएपी जल, 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज

जबलपुर। सिहोरा क्षेत्र में उर्वरक के अवैध परिवहन के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पिकअप वाहन से 70 बोरे यूरिया और 20 बोरी डीएपी जल किया है। मामले में सहकारी विपणन समिति सिहोरा के लिपिक और पटेल कृषि केंद्र खलरी-मझगांव के प्रोपराइटर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 एवं 7 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस के अनुसार, 10 अगस्त 2026 को सूचना प्राप्त हुई थी कि वाहन क्रमांक एमपी 20 जीए 5016 में बड़ी मात्रा में उर्वरक का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर वाहन की जांच की गई, जिसमें 70 बोरी यूरिया तथा 20 बोरी डीएपी पाया गया। उर्वरक के परिवहन को लेकर आवश्यक दस्तावेज एवं वैधानिक प्रक्रिया में अनियमितता पाए जाने पर वाहन और उर्वरक को कब्जे में लिया गया।

इसके बाद 11 अगस्त की रात वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सिहोरा जयपाल सिंह राठौर (62) ने थाना सिहोरा में लिखित जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में सहकारी विपणन समिति सिहोरा में लिपिक के पद पर कार्यरत सिद्धांत तिवारी, पिता जगनारायण तिवारी, तथा ग्राम खलरी स्थित पटेल कृषि केंद्र के प्रोपराइटर नितेन्द्र पटेल, पिता लक्ष्मण पटेल के विरुद्ध अवैध रूप से उर्वरक परिवहन किए जाने की बात सामने रखी गई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसी एक्ट) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि जल उर्वरक कहाँ से लाया गया था और इस कहाँ ले जाया जा रहा था, साथ ही इसके अवैध परिवहन में अन्य लोगों की भूमिका थी या नहीं।

उद्योगों को दोहरे संपत्ति कर से राहत दी जाए

फेडरेशन ने मुख्य सचिव के सामने रखे औद्योगिक विकास से जुड़े सुझाव

जबलपुर। प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने और उद्योगों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में फेडरेशन ऑफ मध्यप्रदेश चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सरकार के समक्ष कई अहम सुझाव रखे हैं। फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष हिमांशु खरे के नेतृत्व में भोपाल में मुख्य सचिव अशोक वर्णावाल और एमएसएमई विभाग के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई से मुलाकात कर उद्योगों से जुड़े नीतिगत मुद्दों पर चर्चा की।

फेडरेशन ने औद्योगिक क्षेत्रों में संपत्ति कर की मौजूदा व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने के साथ ही औद्योगिक भवनों के नक्शे की मंजूरी के लिए सिंगल विंडो और समयबद्ध व्यवस्था लागू करने की मांग की। फेडरेशन का कहना है कि प्रक्रियाओं के सरलीकरण से न केवल उद्यमियों को राहत मिलेगी, बल्कि प्रदेश में नए निवेश और औद्योगिक विस्तार की भी गति मिलेगी।

फिर संपत्ति कर का दोहरा बोझ क्यों?

फेडरेशन ने औद्योगिक क्षेत्रों में संपत्ति कर के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा उद्योगों से संधारण शुल्क लिया जाता है। इसी राशि से औद्योगिक क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं के विकास और रखरखाव पर खर्च किया जाता है।फेडरेशन का सुझाव है कि संधारण शुल्क में से उपयुक्त राशि नगर निगम को उपलब्ध कराकर उद्योगों को संपत्ति कर के दोहरे भार से राहत दी जा

नक्शा मंजूरी के लिए सिंगल विंडो जरूरी

प्रतिनिधिमंडल ने जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा आवंटित औद्योगिक भूमि पर भवन निर्माण के नक्शे की स्वीकृति प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने की मांग की। फेडरेशन ने सुझाव दिया कि उद्योग विभाग द्वारा आवंटित भूमि पर औद्योगिक निर्माण के नक्शे की मंजूरी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाए।फेडरेशन ने नक्शा स्वीकृति के अधिकार जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र को देने और शुल्क भी उद्योग विभाग के खाते में जमा कराने की व्यवस्था का सुझाव दिया। इसके साथ ही निर्धारित 30 दिन की समय-सीमा में निर्णय नहीं होने पर ऑनलाइन डीमंड अप्रूवल का प्रावधान करने की मांग की गई है।फेडरेशन का तर्क है कि नक्शा स्वीकृति जैसी प्रक्रियाओं में होने वाली देरी के कारण उद्योगों की स्थापना और निवेश की पूरी प्रक्रिया प्रभावित होती है। समयबद्ध स्वीकृति से उद्यमियों को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और नए उद्योग जल्द शुरू हो सकेंगे।

सरकार और उद्योग के बीच बने संवाद

फेडरेशन अध्यक्ष हिमांशु खरे ने कहा कि मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए सरकार और उद्योग जगत के बीच निरंतर एवं परिणामोन्मुखी संवाद जरूरी है। फेडरेशन प्रदेश के उद्योगों की वास्तविक जरूरतों और संभावनाओं को शासन के समक्ष प्रभावी तरीके से रखने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि फेडरेशन का लक्ष्य मध्यप्रदेश को निवेश, विनिर्माण, व्यापार, एमएसएमई और तकनीकी उद्योगों के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करने के लिए शासन के साथ मिलकर लगातार काम करना है।प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व अध्यक्ष दीपक शर्मा, संयुक्त अध्यक्ष वीरेंद्र पोरवाल, उपाध्यक्ष योगेश गोयल एवं जयदेव ताड़कार, राजीव जैन, सचिव प्रवीण आचार्य, सहसचिव डॉ. सुरेंद्र सिंह और राजेश हिरवे शामिल रहे।अगर इसे फ्रंट/सिटी पेज की 250-300 शब्दों की ज्यादा धारदार खबर बनाना हो, तो इसका और संक्षिप्त व आकर्षक संस्करण भी बनाया जा सकता है।

सकती है। इससे औद्योगिक इकाइयों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ कम होगा।

पंजाबी कॉलोनी में स्वच्छता टीम ने घर-घर पहुंचाया कचरा पृथक्करण का संदेश

चार डिब्बों के साथ ली स्वच्छता सेल्फी, नागरिकों से जनभागीदारी की अपील

जबलपुर। नगर पालिक निगम जबलपुर की स्वच्छता टीम द्वारा स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने और नागरिकों को स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण के प्रति जागरूक करने के लिए लगातार जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में संभाग क्रमांक 11 के वार्ड क्रमांक 43 स्थित पंजाबी कॉलोनी, कांचघर में जनजागरूकता गतिविधि आयोजित की गई।

अभियान की शुरुआत पार्षद कार्यालय में पार्षद पति संजय साहू की मौजूदगी में कार्यक्रमताओं के साथ संवाद से हुई। इसके बाद स्वच्छता टीम एवं कार्यकर्ताओं ने घर-घर संपर्क कर नागरिकों को गीला, सूखा, सेनेटरी एवं घरेलू हानिकारक कचरा अलग-अलग रखने की जानकारी दी। नागरिकों को बताया गया कि स्रोत पर कचरा अलग करने से उसके संग्रहण, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और उचित निपटान की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है।



साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं फेंकने, खुले में कचरा नहीं जलाने और नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहन को पृथक किया हुआ कचरा भी देने की अपील की गई। नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए चार डिब्बों के साथ स्वच्छता सेल्फी भी ली गई।

नगर निगम की स्वच्छता टीम ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए एनभागीदारी आधारित गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी।

भाजपा महानगर आज निकालेगा तिरंगा यात्रा

जबलपुर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ‘हर घर तिरंगा’ अभियान को जन-जन तक पहुंचाने भाजपा जबलपुर महानगर द्वारा 12 अगस्त, बुधवार को सुबह 10.30 बजे भारत माता चौक, सिविक सेंटर से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। भाजपा जिला अध्यक्ष रत्नेश सोनकर ने बताया कि राष्ट्रभक्ति के प्रति सम्मान, गौरव एवं राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से पार्टी द्वारा जिला एवं विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्राएं आयोजित की जा रही हैं। यात्रा में प्रदेश महामंत्री एवं संभाग प्रभारी राहुल कोठारी, जिला प्रभारी आलोक संजर, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नु, विधायक अशोक रोहाणी एवं अभिलाष पांडे, प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन, जेडीए अध्यक्ष संदीप जैन, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी श्रीकांत

भारत माता चौक से सुबह 10.30 बजे शुरू होगी यात्रा

साहू, प्रदेश प्रवक्ता वाणी अहलूवालिया, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी परांजपे, निशक्तजन कल्याण प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक संदीप रजक, नगर निगम अध्यक्ष रिकुंज बिज, महामंत्री पंकज दुबे, रंजीत पटेल एवं अमित सोनू बचवानी सहित पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं युवा शामिल होंगे। तिरंगा यात्रा भारत माता चौक से मालवीय चौक, लॉर्डगंज, बड़ा फुहार, अंधेरदेव, तुलाराम चौक, कर्मचंद चौक होते हुए बगलामुखी दरमियन देगे। रात्रि 9 बजे आरती के साथ कार्यक्रम माता चौक उद्यान में संपन्न होगी।



मयूर मेमोरियल ट्रस्ट ने कांवड़ यात्रियों की सेवा कर वितरित किया प्रसाद

जबलपुर। संस्कारधानी में आयोजित मय्य कांवड़ यात्रा के दौरान मयूर मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं की सेवा के लिए विशेष सेवा शिविर लगाया गया। ट्रस्ट के सदस्यों ने चवारीघाट से कैलाश धाम तक जाने वाले कांवड़ यात्रियों का आत्मीय स्वागत करते हुए उन्हें हलवा, फल, बिस्किट एवं शीतल पेयजल वितरित किया। कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साह एवं आस्था के साथ सहभागिता की। कांवड़ियों के बोल बम के जयघोष से यात्रा मार्ग शिवमय नजर आया। ट्रस्ट सदस्यों ने श्रद्धालुओं की सेवा को भगवान शिव की सेवा मानते हुए जलपान एवं आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई। सेवा शिविर में ट्रस्ट के संस्थापक गोविंद बिसेन, आशा जाग्रसवाल, भूमिका दुबे, उज्ज्विता गौटिया, नमिता ठाकुर, देवेश पटेल, अभिषेक दुबे, पीयूष बस्तवार, साहिल यादव, अभिनव यादव, तुषार यादव, अमन श्रीपाल, आदित्य दुबे, प्रियांश यादव, विक्रम मरावी, सचिन पटेल, बासु पटेल, आशीष शर्मा, साकेत श्रीव, तरूण काछी, अमय गिरि, समीर चक्रवर्ती, मन्मू यादव, निशांत साकेत, आकाश कुशवाहा, कृष्ण यादव एवं आईश्री गौटिया सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।



पीएमश्री मझौली में बच्चों ने ली नशामुक्ति की शपथ

मझौली। समाजसेवी संस्था टारगेट युवा शक्ति वेलफेयर सोसायटी, मझौली द्वारा पीएमश्री मझौली विद्यालय में नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। संस्था की ओर से सभी बच्चों को पेन भी वितरित किए गए। संस्था के अध्यक्ष आशीष तिवारी ने कहा कि नशा व्यक्ति के साथ पूरे परिवार को बर्बादी की ओर ले जाता है। संस्था द्वारा भजन, संगीत एवं खेल जैसी रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में टारगेट टीम के अनुराग दुबे, मंजू भारती मिश्रा, नेहा तिवारी, अर्चना पाठक, स्मिता पांडे, सरोज दुबे एवं वंदना तिवारी सहित विद्यालय की प्रधानाध्यापक कुजूर मैडम, शिक्षक संतोष दुबे, अलका दुबे, मरावी, कोष्टा मैडम एवं मुस्त्री मैडम सहित विद्यालय परिवार के सदस्य उपस्थित रहे।

रादुविवि में छठवें दिन भी क्रमिक अनशन जारी, प्रशासन की बेरुखी से नाराजगी बढ़ी

जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की 36 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा क्रमिक अनशन अब लंबा खिंचता नजर आ रहा है। आंदोलन के छठवें दिन भी मांगों के समाधान को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से ठोस पहल नहीं होने से कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है।कर्मचारियों संघ का आरोप है कि आंदोलन के बावजूद प्रशासन समस्या के समाधान को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहा है। कर्मचारियों के मुताबिक, संबंधित अधिकारी बातचीत और समाधान की पहल करने के बजाय शहर से बाहर हैं, जिससे आंदोलनकारियों में असंतोष और गहरा गया है। उनका के छठवें दिन पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामसंजीवन संंधिया ने कार्यकारिणी सदस्य भंवर सिंह करचाम को धरने पर बैठाया।

नर्सिंग कालेज मान्यता फर्जीवाडा

एमपीएनसी रजिस्ट्रार रिकार्ड सहित तलब

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने नर्सिंग कालेजों की मान्यता से जुड़े फर्जीवाड़े के मामले में मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार को संबंधित रिकार्ड के साथ तलब किया है। जस्टिस आनंद पाठक व जस्टिस बीपी शर्मा की डिवीजन बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को निर्धारित की है। ला स्टूडेंट्स एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता विशाल बरोले के माध्यम से दायर जर्नलित याचिका में प्रदेश में संचालित नर्सिंग कालेजों की मान्यता प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया कि निर्धारित शर्तों और मापदंडों का पालन नहीं करने के बावजूद कई नर्सिंग कालेजों को कागजों पर मान्यता प्रदान की गई। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने प्रदेश में संचालित नर्सिंग कालेजों की जांच सीबीआई से कराने के निर्देश दिए थे। सीबीआई की जांच में प्रदेश के 695 नर्सिंग कालेजों में से 156 कालेज सूटबेल पाए गए थे। जांच के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के बाद 89 और कालेज सूटबेल की श्रेणी में आ गए थे।

सूटबेल कालेजों को परीक्षा की अनुमति

पूर्व में नर्सिंग काउंसिल की ओर से लखित परीक्षाएं कराने और परीक्षा परिणाम घोषित करने की अनुमति मांगते हुए आवेदन पेश किया गया था। युगलपीठ ने सीबीआई जांच में सूटबेल पाए गए कालेजों में जीएनएस तृतीय वर्ष की परीक्षा आयोजित कराने की अनुमति प्रदान की थी। साथ ही शैक्षणिक सत्र 2022-23 के जीएनएस प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित करने की अनुमति दी जाए। इसके बाद कमियां दूर कर सूटबेल श्रेणी में आए कालेजों की ओर से भी आवेदन प्रस्तुत कर उनके विद्यार्थियों को अन्य कालेजों में स्थानांतरित नहीं करने की मांग की गई। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आलोक बागरेवा ने पेरवी की।

श्रीमती कृष्णा बाई तिवारी- नर्मदा नगर पोलीपाथर निवासी श्री रामेश्वर प्रसाद तिवारी की धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णा बाई तिवारी (86) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ। श्री दिलीप कुमार गुप्ता-शुक्रवारी बजरिया हनुमानताल निवासी श्री दिलीप कुमार गुप्ता (59) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार करियापाथर श्मशान भूमि में किया गया। श्री रामायण यादव- संजय नगर रांझी निवासी श्री रामायण यादव (74) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ। श्री मंगल चौधरी- करियापाथर सेवक की दुकान के पीछे निवासी श्री मंगल चौधरी (55) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार करियापाथर श्मशान भूमि में किया गया। श्रीमती सुंदरा देवी- हाथीताल कॉलोनी निवासी श्रीमती सुंदरा देवी (85) का निधन हो गया। अंतिम

संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ। श्री शक्ति सिंह राजपूत-लालमाटी द्वारका नगर मयूर कला मंदिर के पीछ निवासी श्री कंधी कोठारी, जिला राजपूत के पुत्र श्री शक्ति सिंह राजपूत (35) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार करियापाथर श्मशान भूमि में किया गया। श्रीमती रमा बाई केवट- लाल कुआं पोलीपाथर निवासी श्री नर्मदा प्रसाद केवट की धर्मपत्नी श्रीमती रमा बाई केवट (49) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ। श्री राम शिरोमणी- सिविल लाइन स्थित अपर लाइन निवासी श्री राम शिरोमणी (73) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में किया गया। श्री प्रहलाद बर्मन- राइट टाउन प्रेम मंदिर के पास निवासी श्री प्रहलाद बर्मन (56) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ।



श्री पंकज गुप्ता- गुप्तेश्वर इंद्रानगर निवासी श्री पंकज गुप्ता का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में किया गया। श्री राज शर्मा- अंधेरदेव एमपी स्पोंटस के सामने वाली निवासी श्री राज शर्मा का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ। श्री दया चंद गुप्ता- पीएचई कॉलोनी संजीवनी नगर निवासी श्री दया चंद गुप्ता (77) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में किया गया। श्रीमती मोहनी देवी शर्मा- राजूल एस्टेट वरिष्ठ पनगौर रोड निवासी श्री बाबू राम शर्मा की धर्मपत्नी श्रीमती मोहनी देवी शर्मा (90) का

निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ। श्री राजकुमार ताम्रकार- मौलाना गली कोतवाली निवासी श्री राजकुमार ताम्रकार (83) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में किया गया। श्रीमती गीता तिवारी- लाल कुआं पोलीपाथर निवासी श्री आरपी तिवारी की धर्मपत्नी श्रीमती गीता तिवारी (65) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ। श्री राम कुमार कनौजिया- गौरीघाट एकटा मार्केट के पास गौर निवासी श्री राम कुमार कनौजिया (74) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ।

में किया गया। श्री लक्ष्मीकांत यादव- नरेंद्र नगर होशंगाबाद निवासी श्री लक्ष्मीकांत यादव (47) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ। श्रीमती कमला बाई कुशवाहा- सदर झिरिया कंट निवासी श्री कृष्ण कुमार कुशवाहा की धर्मपत्नी श्रीमती कमला बाई कुशवाहा (76) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में किया गया। श्रीमती पार्वती कोष्टा- जाग्रति नगर अमखेरा निवासी श्री प्रेम लाल कोष्टा की धर्मपत्नी श्रीमती पार्वती कोष्टा (70) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ।

हरिभूमि विजी/शेक/उठावन, रमड़ी रम, पुण्यतिथि संबंधी संदेश प्रकाशित कराने के लिए

अपराध विभाग	विजय राहुल:- 18x से.जी.	वैकल्पिक/सर्वेंट 300/-
अपराध विभाग	विजय राहुल:- 18x से.जी.	रंगीन 400/-
अपराध विभाग	विजय राहुल:- 18x से.जी.	रंगीन 1100/-

सम्पर्क करें विज्ञापन विभाग:- 9303108294, 9407362160

नर्मदा तटों पर लगेगी आस्था की डुबकी

जबलपुर। सावन के महीने में वृक्षों को संरक्षित रखने और पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने की भावना के साथ हरियाली अमावस्या मनाने और इस दिन वृक्षारोपण करने की परंपरा है। इस अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान और दान भी पुण्य लाभ के लिए किया जाता है। सावन के महीने में पड़ने के कारण इसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। हरियाली अमावस्या को लेकर धर्मावलंबियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पंडितों के अनुसार श्रावण कृष्ण पक्ष में अमावस्या पड़ने के कारण इसे हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और नर्मदा का स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करने का भी विधान है। महिलाएं इस दिने पूरी आस्था के साथ स्नान दान व्रत रखती हैं। मान्यतानुसार पीपल के वृक्ष में 36 करोड़ देवी-देवताओं का वास होता है। अमावस्या पर पूजन से सभी मन्तर्न पूरी होती है।

स्नान दान, हरियाली अमावस्या आज



क्या है महत्व

हरियाली अमावस्या का पुराणों में विशेष महत्त्व बतलाया गया है। हरियाली अमावस्या भी स्नान दान का पर्व है। पंडित पीएल गौतमाचार्य का कहना है कि सावन माह में हरियाली अमावस्या विशेष पुण्यकारी मानी जाती है। इस दिन स्नान तथा दीन-हीन, असहाय लोगों को दान देने से साधकों को पितृ दोष, कालसर्प दोष और शनि दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत रहकर स्नान-दान करने से सन्तान को सुख एवं परिवार में शांति व समृद्धि बनी रहती है। स्त्रियों को वैधव्य नहीं होता और चिरकाल तक सौभाग्य मिलता रहता है। अमावस्या पितृकार्य का दिन है और चन्द्रलोक ही पितृलोक का निवास स्थान है।



“हर-हर महादेव” से गुंजा जबलपुर कांवड़ यात्रा में उमड़ा शिवभक्तों का सैलाब

जबलपुर। सावन के पावन सोमवार को संस्कारधानी जबलपुर शिवमय हो उठी। शहरभर में “बोल बम” और “हर-हर महादेव” के जयघोष गुंजते रहे। ग्वारीघाट से मां नर्मदा का पवित्र जल लेकर हजारों शिवभक्तों ने करीब 35 किलोमीटर की पययात्रा कर मटारम स्थित कैलास धाम मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। यात्रा मार्ग में सामाजिक संगठनों और व्यापारियों ने कांवड़ियों के लिए शरबत, फल, भोजन एवं प्रसाद की व्यवस्था की। जगह-जगह पुष्पवर्षा कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। बादशाह हलवाई मंदिर के समीप श्रमजीवी पत्रकार परिषद, तिवारी एसोसिएट एवं महिला रक्षा एवं बाल उत्थान समिति द्वारा विशेष स्वागत मंच लगाया गया, जहां कांवड़ियों का अभिनंदन कर फलाहार वितरित किया गया। इस अवसर पर नलिन कांत बाजपेयी, परमानंद तिवारी, राजेश दुबे, विलोक पाठक, अनुरोध पटेलिया, शिव कुमार तिवारी, संतोष तिवारी, चौरसिया, राहुल शर्मा, शशिकांता सिंह, ममता तिवारी, दीपा साहू, सिमरन सिंह, राजेंद्र पटेल एवं आकाश पटेल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। आयोजन के सूत्रधार परिषद के संभागीय संगठन सचिव अनुराग दीक्षित रहे।

दिवंगत बिजलीकर्मी के परिवार को 10 लाख की बीमा सहायता

जबलपुर। मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच 2 दिसंबर 2024 को हुए कॉरपोरेट सैलरी पैकेज समझौते के तहत दिवंगत कर्मचारी स्वर्गीय संतोष पात्रों, कार्यालय सहायक श्रेणी-3 के परिजनों को 10 लाख रुपये की बीमा सहायता मिली है। यूनियन बैंक की ओर से बीमा राशि का चेक कंपनी के प्रबंध संचालक अजय गुप्ता को सौंपा गया। स्वर्गीय संतोष पात्रों ने संचालन-संधारण संभाग, जबलपुर में करीब 34 वर्ष 9 माह सेवाएं दी थीं। 2 जनवरी 2026 को उनके निधन के बाद बीमा सुरक्षा का लाभ उनके पुत्र शुभ पात्रों को मिला।

कंपनी के अनुसार, अब तक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 3 दिवंगत कर्मिकों के आश्रितों को 25 लाख रुपये तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 21 कर्मिकों के आश्रितों



को 2 करोड़ 10 लाख रुपये के बीमा कर्मे का भुगतान हो चुका है। कॉरपोरेट सैलरी पैकेज में बीमा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, ऋण और लाइफस्टाइल सुविधाएं शामिल हैं। प्रबंध संचालक अजय गुप्ता ने कहा कि यह योजना कर्मचारियों के साथ उनके परिवारों को भी वित्तीय एवं

सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की महत्वपूर्ण पहल है। इस अवसर पर यूनियन बैंक के मुख्य प्रबंधक आलोक कुमार, शाखा प्रबंधक प्रशांत शुक्ला तथा कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन एवं प्रशासन मोहम्मद आरिफ कुरैशी उपस्थित रहे।

सामाजिक समरसता के नाम होगा ‘संस्कारधानी समरसता कजलियां महोत्सव’

17 अगस्त को पात्र वितरण, 29 अगस्त को हनुमानताल में विराट आयोजन

जबलपुर। सामाजिक सहिष्णुता, सद्भाव और समरसता का संदेश देने वाला ‘संस्कारधानी समरसता कजलियां महोत्सव’ इस वर्ष 29 अगस्त को दोपहर 2 बजे से हनुमानताल सरोवर में आयोजित होगा। समरसता सेवा संगठन द्वारा लगातार चौथे वर्ष आयोजित किए जा रहे इस महोत्सव में 50 से अधिक सामाजिक संगठनों की सहभागिता की संभावना है। महोत्सव का शुभारंभ 17 अगस्त को नागपंचमी एवं सावन के तृतीय सोमवार पर आद्य शंकराचार्य चौक स्थित समन्वय सेवा केंद्र में भगवान भोलेनाथ के श्री महारुद्राभिषेक एवं कजलियां पात्र वितरण के साथ होगा। संगठन अध्यक्ष पवन पांडे एवं सचिव मनोज सेठ ने पत्रकार वार्ता में आयोजन की जानकारी दी। कजलियां महोत्सव के तहत 12 दिनों तक बच्चों, महिलाओं एवं युवाओं के लिए सांस्कृतिक



और शैक्षणिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। कजरी, आल्हा, लोकगीत, बुंदेली गीत, सुगम गायन एवं पारंपरिक नृत्यों की प्रस्तुतियां आयोजन का प्रमुख आकर्षण रहेंगी। प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया

जाएगा। 29 अगस्त को हनुमानताल में होने वाले मुख्य समारोह में पूज्य संतों का सानिध्य रहेगा। पारंपरिक कजलियां मेले की तर्ज पर महिलाओं के लिए झूले, बच्चों के लिए चाइल्ड जॉन तथा विभिन्न

समाजों के सहयोग से पारंपरिक व्यंजनों की व्यवस्था की जाएगी। सभी समाजों के प्रतिनिधि 17 अगस्त को वितरित किए जाने वाले पात्रों में बोर्ड गैड कजलियां लेकर मुख्य समारोह में पहुंचेंगे और एक-दूसरे को कजलियां भेंट कर शुभकामनाएं देंगे। संगठन के अध्यक्ष पवन पांडे ने बताया कि समरसता सेवा संगठन ने बीते तीन वर्षों में 150 से अधिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयोजन किए हैं। संगठन का उद्देश्य ‘सब सबको जाने, सब सबको मानें’ के ध्येय के साथ समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ना है। कजलियां महोत्सव भी इसी उद्देश्य की महत्वपूर्ण कड़ी है। पत्रकार वार्ता में पं. रोहित दुबे, महाकौशल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रवि गुप्ता, अग्रवाल सभा के पूर्व अध्यक्ष कैलाश अग्रवाल ‘बब्बा’, सुरेश सराफ एवं पूर्व सचिव उज्जवल पचौरी सहित संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे।



संभावित रेल हादसे टालने वाले छह रेलकर्मी सम्मानित

महाप्रबंधक दिलीप कुमार सिंह ने दिया ‘उत्कृष्ट संरक्षा जागरूकता पुरस्कार’

जबलपुर। ड्यूटी के दौरान सतर्कता, त्वरित निर्णय क्षमता और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देकर संभावित रेल दुर्घटनाओं को टालने वाले पश्चिम मध्य रेलवे के छह रेलकर्मियों को जुलाई 2026 के लिए ‘उत्कृष्ट संरक्षा जागरूकता पुरस्कार’ से सम्मानित किया गया। पश्चिम मध्य रेल के महाप्रबंधक दिलीप कुमार सिंह ने कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए।

सम्मानित कर्मचारियों में स्टेशन अधीक्षक अनिल कुमार यादव (रतौना), ट्रैकमैन विजेंद्र यादव (नरियावली), वरिष्ठ सहायक लोको

पायलट राजकिरण मालवीय (इटारसी), वरिष्ठ तकनीशियन संजय कुमार (सी एंड डब्ल्यू, कोटा), सहायक अभिम्नय मीना (सी एंड डब्ल्यू, कोटा) तथा प्रधान आरक्षक दर्शन सिंह (भरतपुर) शामिल हैं। इन कर्मचारियों ने ड्यूटी और गश्त के दौरान हॉट एक्सल, लोको के अंडरगियर ट्रैक्शन, कोच के लोवर कंट्रोल आर्म, व्हीलसेट में शेलिंग तथा कोच में आग जैसी तकनीकी खामियों को समय रहते पहचानकर आवश्यक सुरक्षात्मक कार्रवाई की। उनकी सजगता से रेल परिचालन को सुरक्षित

बनाए रखने में महत्वपूर्ण सफलता मिली। महाप्रबंधक दिलीप कुमार सिंह ने पुरस्कृत कर्मचारियों की कर्तव्यनिष्ठा और सजगता की सराहना करते हुए कहा कि रेलवे में संरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे कर्मचारी पूरे रेल जोन के लिए प्रेरणास्रोत हैं। इस अवसर पर प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी मनोज गुरमुखी, प्रमुख मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर एकनाथ मोहकर, उप मुख्य संरक्षा अधिकारी अजय कुमार पाल सहित सेफ्टी विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

कांवड़ यात्रियों का कलाकारों ने बढ़ाया उत्साह

जबलपुर। संस्कार कांवड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के उत्साह और मनोबल को बढ़ाने के लिए मंचीय कलाकार वेलफेयर एसोसिएशन एवं रजिस्टर्ड मध्यप्रदेश कलाकार एसोसिएशन की ओर से 10 अगस्त, सोमवार को धार्मिक गीत-संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। रांडी गरबा महोत्सव समिति एवं खमरिया कर्मचारी संघ के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में ‘बोल बम’ और ‘बम भोले’ के जयकारों से पूरा प्रांगण गुंज उठा। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से हुआ। कलाकारों डॉ. अश्विनी शुक्ला, नीरज जैन, कृतिका कुशवाहा, कविता राजपूत, सरिता, रामटेक, विजय साहू, रंजन, सूर्यवंशी, भैया जी पटेल, दीपिका चौरसिया, योगेश विश्वकर्मा, जितेंद्र कुमार भावर,

‘बम भोले’ और भोले बाबा के गीतों से गुंजा मंच



माला यादव, मुकुल वर्मा एवं माया विश्वकर्मा ने धार्मिक एवं भक्ति गीतों की प्रस्तुतियां दीं। वाद्ययंत्रों पर पवन कोरी (ढोलक), धनंजय मिश्रा (की-बोर्ड), सचिन (ड्रम) एवं अनुपम केवट (पैड) ने शानदार संगीत दी। वहीं शैलेंद्र ने सेक्सोफोन पर भोले बाबा के लोकप्रिय गीत की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में एसोसिएशन अध्यक्ष मोहन विश्वकर्मा एवं

महासचिव अनिल प्रजापति प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। मंच संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष रमन पटेल एवं प्रदेश संगठन मंत्री बृजेश सेन ने किया। कार्यक्रम के अंत में कलाकारों एवं तरुण साउंड एंड रिकॉर्डिंग सेंटर को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। प्रदेश संगठन मंत्री बृजेश सेन ने विभिन्न जिलों से आए कलाकारों एवं सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

भारत सिंह यादव बने भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक

जबलपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल की सहमति से भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक किशन सिंह भट्टाल ने प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की है। इसमें जबलपुर के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भारत सिंह यादव को सहकारिता प्रकोष्ठ का प्रदेश सह संयोजक नियुक्त किया गया है। भारत सिंह यादव भाजपा संगठन में विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। उनकी नियुक्ति पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि, सांसद आशीष दुबे, भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन, जिला अध्यक्ष रत्नेश सोनकर,

ग्रामीण अध्यक्ष राजकुमार पटेल, विधायक अजय विश्नाई, अशोक रोहाणी, सुशील तिवारी ‘इंदु’, अभिलाष पांडे, नीरज सिंह एवं संतोष बरकड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष आशा गाँटिया, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नु, जेडीए अध्यक्ष संदीप जैन, नगर निगम अध्यक्ष किंजु विज एवं प्रदेश सह मीडिया प्रभारी श्रीकांत साहू सहित भाजपा महानगर एवं ग्रामीण जिला के पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं ने बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

नाम एवं जन्मतिथि परिवर्तन सूचना
I, BALAN NAIR PC is legally FATHER of ARMY NO-JC391327H, Rank- NB /SUB, Name- RABEESH PC presently residing at Vill- NONCHAD, POST-CHENOLI, Teh- QUILANDI, Distt CALICUT, State- KERALA, PIN- 673525 शपथपूर्वक नि. लि. कथन करती हूँ कि मेरे बेटे के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम एवं जन्मतिथि BALAN NAIR PC & 15/05/1954 दर्ज है। जो कि सही है मेरे नाम को पढ़ा व सुना एवं मेरे बेटे के सर्विस रिकार्ड में दर्ज किया जाए। द्वारा शपथ पत्र नं. 38AA 850421 दिनांक 11-08-26 नोटरी जबलपुर म.प्र.।
गलत नाम एवं जन्मतिथि BALAN NAIR & 01-07-1951 सही नाम एवं जन्मतिथि BALAN NAIR PC & 15-05-1954

कार्यालय, सम्माननीय अधिकारी सम्मान क्रमांक 13 मुख्यालय, नगर निगम, जबलपुर पत्र क्रं./सं.अधि./13/मुख्यालय 2026-27/एम/125 दिनांक:- 06/08/2026

भवन नामांतरण सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती रश्मी पाल पति स्व. श्री दीपक पाल ने मकान नं. 303/A-61X-601 वाई स्वामी दयानंद सरस्वती छव्ठी मंजिल-1200 व.फ़. विक्रयपत्र के आधार पर नगर निगम द्वारा प्रदत्त मकान नं. पर नामांतरण हेतु आवेदन दिया है। जिस किस्ती की भी उक्त नामांतरण पर आपति हो तो वे इस प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंदर कार्यालय संभाग क्रमांक-13 मुख्यालय में प्रमाण सहित आपति प्रस्तुत करें।
राजस्व निरीक्षक
संभाग क्रं. 13 मुख्यालय
नगर निगम, जबलपुर

नाम एवं जन्मतिथि परिवर्तन सूचना
I, RADHAAMMA is legally MOTHER of ARMY NO-JC391327H, Rank- NB/SUB, Name- RABEESH PC presently residing at Vill- NONCHAD, POST-CHENOLI, Teh- QUILANDI, Distt CALICUT, State- KERALA, PIN- 673525 शपथपूर्वक नि. लि. कथन करती हूँ कि मेरे बेटे के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम एवं जन्मतिथि RADHA K /01/07/1950 दर्ज है। जो कि गलत है। यह कि मेरे आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम एवं जन्मतिथि RADHA K /01/07/1950 दर्ज है। जो कि सही है। मेरे नाम को पढ़ा व सुना एवं मेरे बेटे के सर्विस रिकार्ड में दर्ज किया जाए। द्वारा शपथ पत्र नं. 38AA 850422 दिनांक 11-08-26 नोटरी जबलपुर म.प्र.।
गलत नाम एवं जन्मतिथि RADHA K & 01-07-1950 सही नाम एवं जन्मतिथि RADHA AMMA & 30-06-1961

नाम परिवर्तन सूचना
I, URMILA DHAMAN is legally WIFE of ARMY NO- SD-352386, Rank- MTS, Name- MANOJ KUMAR presently residing at Hill RECRUITING ZONE (MP&CG) HQ- BILHARI, Post- BILHARI, Teh- JABALPUR, Distt- JABALPUR, State- MADHYA PRADESH, PIN- 482001 शपथपूर्वक नि. लि. कथन करती हूँ कि मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम URMILA BAI दर्ज है। जो कि गलत है। यह कि मेरे आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम URMILA DHAMAN दर्ज है। जो कि सही है मेरे नाम को पढ़ा व सुना एवं मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में दर्ज किया जाए। द्वारा शपथ पत्र नं. 38AA 617938 दिनांक 11-08-26 नोटरी जबलपुर म.प्र.।
गलत नाम URMILA BAI सही नाम URMILA DHAMAN

नई दिल्ली। खगोल विज्ञान की दृष्टि से आज 12 अगस्त वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिन बनने जा रहा है। एक ही दिन पूर्ण सूर्यग्रहण, छह वारों की दुर्लभ वह-पवित और पर्सिड उल्का वर्षा जैसे कई असाधारण खगोलीय घटनाएं देखने को मिलेंगी। हालांकि भारत में सूर्यग्रहण दिखाई नहीं देगा, फिर भी यह दिन वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिकों और खगोल प्रेमियों के लिए विशेष महत्व रखेगा। पूर्ण ग्रहण के इस समय रात रहेगी इसलिए यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। इसी कारण भारत में इस ग्रहण से संबंधित धार्मिक या वैज्ञानिक प्रत्यक्ष अवलोकन संभव नहीं होगा, जबकि गिन दैगों में ग्रहण दिखाई देगा वहां वैज्ञानिक अभियान और सार्वजनिक अवलोकन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

जबलपुर, बुधवार 12 अगस्त 2026
haribhoomi.com

एक कतार में दिखेंगे 6 ग्रह एक साथ

सूर्योदय से पहले आकाश में बुध, मंगल, बुधस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून एक लगभग सीधी पंक्ति में दिखाई देंगे। इसके बाद दिन के समय वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण पूर्ण सूर्यग्रहण घटित होगा और रात में पर्सिड उल्का वर्षा अपने चरम पर पहुंचेगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्रकार की घटनाओं का एक साथ घटित होना खगोल विज्ञान के अध्ययन और आम लोगों में अंतरिक्ष के प्रति जिज्ञासा बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर है।

कई देशों में छा जाएगा अंधेरा, भारत में नहीं दिखाई देगा सूर्यग्रहण आज

इन देशों में थोड़ी देर के लिए छा जाएगा अंधकार

पूर्ण ग्रहण का दृश्य उत्तरी रूस, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन तथा पुर्तगाल के कुछ क्षेत्रों से देखा जा सकेगा। इन स्थानों पर कुछ मिनटों के लिए दिन के समय भी अंधकार जैसा वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। विशेष रूप से स्पेन के उत्तरी भागों में यह दृश्य अत्यंत आकर्षक होगा, जहां पूर्ण ग्रहण के दौरान दिन अचानक सांध्यकाल जैसा प्रतीत होगा। सूर्य का कोरोना भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने की संभावना है, जिसे सामान्य परिस्थितियों में देख पाना संभव नहीं होता।



अनेक देशों में दिखाई देगा आंशिक सूर्यग्रहण : पूर्ण ग्रहण के अतिरिक्त उत्तरी अमेरिका के कुछ भागों, कनाडा, उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका तथा यूरोप के विस्तृत क्षेत्रों में आंशिक सूर्यग्रहण दिखाई देगा। कई स्थानों पर चंद्रमा सूर्य के 90 प्रतिशत से अधिक भाग को ढक लेगा, जिससे सूर्य का आकार अर्धचंद्र जैसा दिखाई देगा। अफ्रीका और मुख्यभूमि यूरोप के कुछ क्षेत्रों में सूर्यास्त के समय ग्रहण दिखाई देने के कारण यह दृश्य और भी मनोहारी होगा।

भारत में उस समय रहेगी रात

भारतीय समय के अनुसार यह सूर्यग्रहण 12 अगस्त की रात लगभग 9 बजकर 5 मिनट पर प्रारंभ होगा। पूर्ण ग्रहण की अवस्था लगभग 10 बजकर 29 मिनट से शुरू होकर मध्यरात्रि से पहले अपने चरम पर पहुंचेगी तथा पूर्ण ग्रहण की समाप्ति लगभग 12 बजकर 5 मिनट पर होगी। अंतिम चरण 13 अगस्त की रात लगभग 1 बजकर 29 मिनट तक चलेगा। चूंकि इस पूरी अवधि में भारत में रात्रि रहेगी और सूर्य क्षितिज के नीचे होगा, इसलिए यह सूर्यग्रहण देश के किसी भी भाग से दिखाई नहीं देगा।

दिखेगी पर्सिड उल्का की बारिश

इसी दिन अमावस्या होने के कारण रात का आकाश अत्यंत अंधकारमय रहेगा, जिससे पर्सिड उल्का वर्षा अपने चरम पर अत्यंत स्पष्ट दिखाई देने की संभावना है। प्रकाश प्रदूषण से दूर क्षेत्रों में प्रति घंटे बड़ी संख्या में उल्काएं आकाश में चमकती हुई दिखाई जा सकेंगी, जो इस दिन को खगोल प्रेमियों के लिए और भी यादगार बना देंगी।

खबर संक्षेप

‘जेन जेड’ पर टिप्पणी कंगना के खिलाफ याचिका स्वीकार

आगरा। उत्तर प्रदेश के आगरा की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को भाजपा की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ दायर याचिका स्वीकार कर ली।

अधिवक्ता ने बताया कि सांसद/विधायक अदालत में यह याचिका प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे को लेकर जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों और उनके माता-पिता तथा ‘जेन जेड’ के बारे में रनौत की कथित टिप्पणियों को लेकर दायर की गई थी। याचिकाकर्ता और अधिवक्ता रमार्शकर शर्मा ने बताया कि अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तारीख तय की है।

राहुल के खिलाफ मामले में सुनवाई 19 सितंबर को

हाथरस। उत्तर प्रदेश के हाथरस में वर्ष 2020 में हुए दुष्कर्म के एक मामले पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि के मुकदमे में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जारी अदालत का नोटिस तामील हो गया।

नोटिस सांसद, विधायक अदालत संख्या-5 के अपर जिला न्यायाधीश विजय कुमार द्विवेदी ने 15 जुलाई को पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया था। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तारीख तय की है।

राहुल गांधी को जारी अदालत का नोटिस तामील हो गया। नोटिस सांसद, विधायक अदालत संख्या-5 के अपर जिला न्यायाधीश विजय कुमार द्विवेदी ने 15 जुलाई को पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया था। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तारीख तय की है।

खाद्य तेलों के कम वजन पर अब बैन, खेल करके नहीं वसूल पाएंगे मनमाने दाम

हरिभूमि न्यूज़ ►► रायपुर

खाद्य तेलों में करीब एक साल से वजन कम करके जो मनमाने दाम वसूलने का खेल रहा था, उस पर अब कहर सरकार ने पूरी तरह से बैन लगा दिया है। अब उत्पादक कंपनियों को पहले की तरह ही एक लीटर का पाउच बनाना पड़ेगा। छूट मिलने के बाद एक लीटर के स्थान पर 650, 750 और 800 एमएल के पाउच बनाकर ग्राहकों को भ्रम में डालकर ठगाने का काम हो रहा है। कम वजन की छूट जिस मकसद से दी गई थी, उसके स्थान पर ग्राहक लुट रहे थे। ऐसे में केंद्र सरकार ने ग्राहकों को राहत देने के लिए वजनों का एक बार फिर से मानक तय कर दिया है, लेकिन इसी के साथ कंपनियों और कारोबारियों को अपना पुराना स्टॉक खपाने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया है। किसी भी हाल में एक सितंबर के बाद कम वजन वाले खाद्य तेलों के पाउच नहीं बिकेंगे। खाद्य तेलों में पहले सभी कंपनियों के एक लीटर के ही पाउच



■ सितंबर से कम वजन वाले खाद्य तेलों के पैक नहीं बिकेंगे

आते थे। इसी के साथ पांच लीटर के साथ 15 किलो का टिन का तेल आता था। लेकिन गरीब परिवारों को जो एक लीटर का पाउच नहीं ले पाते हैं, उनको राहत देने के लिए तेल की उत्पादक कंपनियों को कम वजन करके पाउच बनाने की छूट दी गई थी, ताकि गरीब परिवार अपने बजट के हिसाब से कम वजन वाले तेल के पाउच लेकर अपना काम चला सके।

पंजाब में आतंकी माँड्यूल का भंडाफोड़ 86 हैंड ग्रेनेड सहित एक पकड़ाया

आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा था आरोपी



जालंधर। पंजाब के जालंधर में पुलिस ने पाकिस्तान समर्थित बड़े आतंकी माँड्यूल का भंडाफोड़ किया है। विदेश में बैठे आतंकी पूरा माँड्यूल चला रहे थे। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी व्यक्ति के पास 86 हैंड ग्रेनेड भी मिले हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी व्यक्ति ने ये बम डेड लेटर बॉक्स/बैग लोकेशन से उठाए थे। उसे इस लोकेशन के बारे में विदेश में बैठे आतंकी ने बताया था। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच करने के लिए जांच कर रही है। यह कार्रवाई जालंधर की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने शहीद भगत सिंह नगर पुलिस के साथ मिलकर की है। इस जॉइंट ऑपरेशन में आईएसआई समर्थित बम्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकी माँड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है।

पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी पुलिस

पुलिस ने एक मुख्य ऑपरेटिव को गिरफ्तार किया है जिसके पास से 86-पी हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया है। पूरे आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए आगे की जांच जारी है, जिसमें विदेशी हैंडलर, स्थानीय सपोर्ट नेटवर्क और फॉरवर्ड व बैकवर्ड लिंकेज शामिल हैं। डीजीपी ने दी जानकारी : पंजाब के डीजीपी ने एक्स पर लिखा, सीमा पार आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता में काउंटर इंटेलिजेंस जालंधर ने एसबीएस नगर पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में, एक प्रमुख संचालक की गिरफ्तारी के साथ विदेशी-आधारित संचालकों द्वारा संचालित एक आईएसआई-प्रायोजित बीकेआई आतंकी माँड्यूल का भंडाफोड़ किया और एक योजनाबद्ध हमले को विफल करते हुए 86-पी हैंड ग्रेनेड बरामद किया।

इंदिरा के हत्यारे का बेटा लड़ेगा पंजाब चुनाव

चंडीगढ़। अकाली दल (वारिस पंजाब दे) ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 चुनाव के लिए अपना पहला उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी ने बरसी पठाना विस सीट से सतवंत सिंह को उम्मीदवार बनाया है। सतवंत, केहर सिंह के बेटे हैं, जिसे इंदिरा गांधी हत्याकांड में फांसी हुई थी। सतवंत सिंह की उम्मीदवारी की घोषणा पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तरसेम सिंह ने की। तरसेम सिंह जेल में बंद खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल सिंह के पिता हैं। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को उनके दो सुरक्षाकर्मियों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को दी सख्त चेतावनी

हरिभूमि न्यूज़ ►► नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति के लापता होने की सूचना मिलते ही तत्काल एफआईआर दर्ज करने का उसका निर्देश हर व्यक्ति पर लागू होता है, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। कोर्ट ने कहा कि उसके पहले के आदेश में इस्तेमाल किए गए 'व्यक्ति' शब्द का अर्थ केवल बच्चों तक सीमित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चेतावनी दी कि निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के खिलाफ अवमानना की कार्यवाई की जा सकती है।

फैसले को समझाया

जरिस्टस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जरिस्टस और, महादेवन को पीठ ने मानव तस्करी रोकने और लापता लोगों का पता लगाने से जुड़े मामले में पहले दिए आदेशों के अमल की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिया। कोर्ट को बताया गया कि कुछ राज्य 22 मई, 2026 के आदेश की गलत व्याख्या करते हुए मान रहे हैं कि उसमें 'व्यक्ति' शब्द का मतलब केवल बच्चे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस व्याख्या को खारिज करते हुए इसे 'जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से उठाया गया बहाना' बताया। पीठ ने कहा कि उसके आदेश की भाषा पूरी तरह स्पष्ट है और 'व्यक्ति' का अर्थ हर व्यक्ति है, चाहे वह बच्चा हो या बच्चा तथा उसका लिंग कुछ भी हो।

मनमोहन के खिलाफ कैपेन था सुनियोजित

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में क्लीन चिट मिलने के कुछ दिन बाद कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। सोनिया ने मानावा को एक अक्षरवा में प्रकाशित अपने आर्टिकल में आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह के खिलाफ लॉबी कैपेन सुनियोजित और संगठित था। इसमें अमरसरगौरी से लेकर मॉडिया, न्यायपालिका, सिविल सोसाइटी और निश्चित तौर पर आरएसएस और भाजपा से जुड़े लोग शामिल थे। उन्होंने कहा कि आज वह कैपेन अपने तय अंत यानी शून्य पर पहुंच गया है और डॉ. सिंह हर मामले में बंदा साबित हुए हैं। उन्होंने मनमोहन सिंह और मोदी सरकार के कामकाज की तुलना की। सोनिया ने लिखा कि मनमोहन सिंह को ईमानदारी और जवाबदेही का रिकॉर्ड मोदी सरकार के काम करने के तरीके से बिचलुल उल्टा था। इतिहास मनमोहन सिंह को शांत, सरल, लेकिन सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों में से एक के तौर पर सम्मान से याद करेगा।

उम्र-लिंग की सीमा नहीं, हर लापता की तुरंत दर्ज करना होगा एफआईआर

सुप्रीम कोर्ट ने लापता लोगों के एफआईआर मामले में राज्य सरकारों को सख्त चेतावनी दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के लापता होने की सूचना मिलने पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने का उसका निर्देश हर व्यक्ति पर लागू होगा, चाहे वह बच्चा हो या वयस्क, पुरुष हो या महिला। कोर्ट ने कहा कि उसके पहले के आदेश में इस्तेमाल किया गया शब्द 'व्यक्ति' उम्र या लिंग से सीमित नहीं है।



सुप्रीम कोर्ट का सभी पुलिस थानों को निर्देश

22 मई के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पुलिस थानों को निर्देश दिया था कि किसी भी व्यक्ति के लापता होने की सूचना मिलते ही बिना प्रारंभिक जांच का इंतजार किए तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। पुलिस परिवार या अभिभावकों से पहले खुद तलाश करने को कहकर जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। कोर्ट ने कहा था कि लापता होने के बाद शुरुआती कुछ घंटे 'गोल्डन अवर्स' होते हैं और इसी अवधि में सुरक्षित बरामदगी की संभावना सबसे अधिक रहती है। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 तथा अपहरण, बहला-फुसलाकर ले जाने या मानव तस्करी से संबंधित अन्य कानूनी प्रावधान शामिल किए जाने के निर्देश भी दिए गए थे।

आदेश का पालन नहीं होने पर जारी होगा नोटिस

पीठ ने कहा कि यदि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आदेश का पालन नहीं किया है तो संबंधित मुख्य सचिव और डीजीपी को अवमानना नोटिस जारी किया जाएगा। उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर हलफनामा दाखिल करना होगा और बताया होगा कि जानबूझकर आदेश की अवहेलना करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।

एंट्री ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को विशेष निर्देश

कोर्ट ने मानव तस्करी की आशंका वाले मामलों को चार महीने की अवधि पूरी होने का इंतजार किए बिना संबंधित विशेष इकाई को सौंपने और सभी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को पूरी तरह सक्रिय करने का भी निर्देश दिया था। वहीं, बरामद व्यक्ति को सत्यापन के बाद बिना देरी उसके सही अभिभावक या परिवार को सौंपने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, यदि परिवार या अभिभावक खुद तस्करी में शामिल हों तो पीडित को उनके हवाले नहीं किया जाएगा।

अनुपालन हलफनामा दाखिल नहीं करने पर नाराजगी

5 अगस्त के आदेश में कोर्ट ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अनुपालन हलफनामा दाखिल नहीं करने पर नाराजगी जताई और उन्हें प्रथमदृष्टया अवमानना का दोषी माना। लद्दाख के मुख्य सचिव और डीजीपी को भी व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया। केंद्र सरकार को देशभर के संबंधित पोर्टलों को छह सप्ताह में एकीकृत करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर, 2026 को दोपहर 2 बजे होगी।